न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– संदीप कुमार , आर0ए0एस0

अपील सं. 292/2023 (जीसीएमएस नं. 2023/482) दिनांकः– 31.10.2023

1. इन्द्राज पुत्र श्री जगमालराम जाति ब्राह्मण साकिन रामपुरा न्यौला तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर
2. बालूराम पुत्र श्री जगमालराम जाति ब्राह्मण साकिन रामपुरा न्यौला तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर
3. सुभाषचन्द्र पुत्र श्री जगमालराम जाति ब्राह्मण साकिन रामपुरा न्यौला तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

–अपीलांट

बनाम

1. परमेश्वरी देवी पत्नी श्री जगमालराम जाति ब्राह्मण साकिन रामपुरा न्यौला तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर
2. सुषमादेवी पुत्री जगमालराम पत्नी श्री संदीप कुमार जाति ब्राह्मण साकिन रामपुरा न्यौला तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर हाल आबाद वार्ड नं. 22 (पुराना) पीलीबंगा जिला हनुमानगढ
3. कालूराम पुत्र श्री जगमालराम जाति ब्राह्मण साकिन रामपुरा न्यौला तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर
4. गिरधारी पुत्र श्री जगमालराम जाति ब्राह्मण साकिन रामपुरा न्यौला तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर
5. जनकलाल पुत्र श्री जगमालराम जाति ब्राह्मण साकिन रामपुरा न्यौला तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर
6. सरपंच ग्राम पंचायत निरवाना तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर बहैसियत प्रतिनिधि राजस्थान सरकार

–रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू0रा0अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री राजवीर भादू, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री राकेश कुमार मनचंदा, अभिभाषक रेस्पो. नं. 3
3. श्री बाबूलाल चाण्डक, अभिभाषक रेस्पो. 1–2–5
4. रेस्पो0नं0 4 –एकपक्षीय कार्यवाही
5. पैरोकार राज0 ना0 तहसीलदार सूरतगढ

::निर्णय:: दिनांकः– 26.02.2024

पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्टगण ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलांट सं. 1 ता 3 व रेस्पो0नं0 2 ता 5 के पिता व रेस्पो0नं0 1 के पति जगमाल पुत्र नंदराम चक 1 आर एम तहसील सूरतगढ के खाता नं. 18 की प0नं0 98/309 कि0नं0 1 ता 5 के 1.265 है0 व प0नं0 98/310 के कि0नं0 1 ता 3,, 8 ता 13 की 2.277 है0, दोनो मुरब्बा की 3.542 है0 रकबा व खाता नं. 17 के पं0नं0 98/309 के किला नं. 6 ता 8, 9/2, 15/2, 16/1,25/1 मे 0.9200 है0 दोनों खातों की 4.462 है0 कृषि भूमि की अंकित काश्तकार था। खातेदार जगमाल के स्वर्गवास हो जाने पर उसके नाम की जैर अपील भूमि का विरासतन इंतकाल नं. 267 दिनांक 20.7.2023 को उनके प्रथम श्रेणी के जायज वारिस अपीलांटगण व रेस्पो0नं0 1 ता 5 के नाम ब0हि0ब0 हिस्सा का ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक कर दिया।इस इंतकाल के विरूद्व अपीलांट द्वारा अपनी नाराजगी जताते हुए अपील प्रस्तुत कर अंकित खातेदार अपीलांट व रेस्पो0 नं. 1 ता 5 के पिता द्वारा उक्त वर्णित भूमि जो उनके नाम स्वर्जित थी, उसकी एक वसीयत स्वैच्छा व स्वस्थ चित से रोबरू गवाहन दिनांक 19.12.2011 को अपीलांटगण 1 ता 3 व रेस्पो0नं0 5 जनकलाल के पक्ष में करवाकर गवाहान के रोबरू अपनी सहमतिस्वरूप हस्ताक्षर करके नोटेरी पब्लिक एडवोकेट से तस्दीक करवा दी थी और वसीयत में लिख दिया था कि मेरे स्वर्गवास के बाद इस वसीयत के मुताबिक ही राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

अपीलांट्स का यह भी कहना है कि पिता के स्वर्गवास हो जाने के बाद बिना किसी पक्षकार को बुलाये सूचना दिये व बिना कब्जा काश्त की जांच किये, किसी एक सदस्य के प्रभाव में आकर हल्का पटवारी ने ग्राम पंचायत से जैर अपील इंतकाल तस्दीक करवा दिया जो विधिविरूद्व है, क्योंकि जैर अपील रकबा की वसीयत अपलांट व रेस्पो0नं0 5 के पक्ष में करवाई हुई है व शेष रकबा की और भी बहस करवाई हुई होने से सारी भूमि का इंतकाल मुताबिक वसीयत ही होना चाहिए था। इसलिए जैर अपील इंतकाल जो विरासतन किया गया है, उसे निरस्त किया जाकर वसीयत के अनुसार इंतकाल किया जाकर आदेश पारित किया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर जरिये नोटिस रेस्पोडेन्ट्स को तलब किया गया व पंचायत से इंतकाल तस्दीक होने संबन्धी कार्यवाही का रिकार्ड मंगवाया गया। पंचायत रिकार्ड की सत्यापित प्रतियां प्राप्त होने पर संलग्न अपील मिसल की गई व रेस्पोडेट्स के हाजिर आने पर पत्रावली वास्ते बहस नीयत की गई। बहस से पूर्व रेस्पो0नं0 1–2–5 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 151 सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जैर अपील भूमि से संबन्धित वाद पत्र इन्ही पक्षकारान के मध्य वसीयत के आधार पर घोषणा का वाद सं. 255/2023 अनवानी इन्द्राज व अन्य बनाम परमेश्वरी देवी आदि विचाराधीन है तथा अधिकारों का निर्णय मूल वादपत्र में होना है,इसलिए वाद पत्र के निर्णय तक इंतकाल की अपील को स्थगित किया जावे।

अपीलांट्स के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से अपील मीमो में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए बहस की कि अंकित खातेदार जो अपीलांट का पिता था, उनके नाम से जैर अपील भूमि उनकी स्वअर्जित भूमि थी और उन्होनें अपने वारिसों को ही अपनी ईच्छा से जैर अपील भूमि की वसीयत स्टाम्प पेपर पर रोबरू गवाहान तस्दीक नोटेरी पब्लिक एडवोकेट से करवाई थी व नोटेरी ने भी अपना प्रमाण पत्र व साक्ष्य दी है कि वसीयतकर्ता से पूछते है कि वसीयत किस सम्पति की है व किसके नाम की है। इन सब बातों की सहमति वसीयतकर्ता से करने पर ही वसीयत तस्दीक की जाती है। पटवारी हल्का को वसीयत बाबत लिख कर दिया हुआ था हल्का पटवारी को वसीयत का ज्ञान होने के बावजूद भी किसी व्यक्ति के प्रभाव में आकर बिना अन्य पक्षकारों को सूचना दिये व बिना कब्जा–काश्त की जांच किये जैर अपील विरासतन इंतकाल दर्ज कर दिया। मा0 राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा भी निर्देश जारी किये हुए है कि इंतकाल दर्ज करने से पूर्व कब्जा काश्त की जांच आवश्यक रूप से की जावे परन्तु पंचायत द्वारा भी बिना कोई सूचना दिये व बिना जांच के जैर अपील इंतकाल नियम विरूद्व पारित किया हुआ होने से खारिज किये जावे। जहां तक रेस्पो0 द्वारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि पक्षकारान के हकों की घोषणा मूल वादपत्र में होगी, इस बात से अपीलांट्स भी सहमत है परन्तु अपील की कार्यवाही स्थगित न रखी जाकर इंतकाल निरस्त किया जाकर इंतकाल दिनांक 20.7.2023 से पूर्व की स्थिति बहाल किये जाने का आदेश पारित किया जाकर हिदायत दी जावे कि इस भूमि व इन्ही पक्षकारान के मध्य जो वाद पत्र विचाराधीन है उसके पारित निर्णय व डिक्री के अनुसार ही राजस्व रिकार्ड में सभी पक्षकारों के हिस्से दर्ज किये जावे। इसलिए अपील स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत निरवाणा द्वारा स्वीकृत इंतकाल नं. 267 दिनांकित 20.7.2023 निरस्त फरमावें। विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के समर्थन में अपर न्यायालयें द्वारा पारित निर्णयों की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई–

1. RRD 1992 पेज नं. 304 पांचीया आदि बनाम प्रभाती देवी आदि
2. RRD 1995 पेज नं. 124 नत्थु सिंह बनाम लक्ष्मण सिंह व अन्य

विद्वान अभिभाषक रेस्पो.न. 1,2,5 ने अपीलांट की बहस का प्रत्युत्तर देते हुए निवेदन किया कि उक्त अनवान की अपील की भूमि व इन्ही पक्षकारान के मध्य घोषणा का दावा विचाराधीन है जिसमें सभी पक्षकारान के हकों की घोषणा होनी है व उसी अनुसार ही रिकार्ड में आगे हिस्सा दर्ज होगा , इसलिए अपील की कार्यवाही स्थगित रखी जावे। विद्वान अभिभाषक की यह भी बहस है कि वसीयत उप पंजीयक से तस्दीक नहीं है तथा बिना उप पंजीयक के तस्दीक वसीयत के आधार पर इंतकाल तस्दीक नहीं किया जा सकता है। कब्जा काश्त सभी का है व विरासतन इंतकाल सही है। यदि यह कानून सम्मत नहीं है तो इन सभी कानूनी बिन्दुओं का निर्णय वादपत्र में होगा। वाद पत्र के निर्णय तक विरासतन इंतकाल के विरूद्व हुई अपील को स्थगित किया जा सकता है। वाद के निर्णय व डिक्री में सभी के अधिकारों का निर्णय होगा। रेस्पो0नं0 1–2–5 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के समर्थन में अपर न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों की प्रतियां प्रस्तुत की–

1. RBJ 2013 पेज नं. 77
2. RRT 2017 (2) पेज नं. 1348
3. RRT (2) पेज नं. 975
4. RRT 2009 (1) पेज नं. 500

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

उभयपक्ष की विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई । अपील का निर्णय करने से पूर्व अपील समय अवधि के बाद प्रस्तुत होने से अपील के साथ लगे प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का निर्णय किया जाना आवश्यक है। अपीलांट्स द्वारा जैर अपील इंतकाल दिनांक 20.7.2023 के विरूद्व अपील दिनांक 13.10.2023 को प्रस्तुत की है जो अपील प्रस्तुत करने की मियाद 30 दिवस के बाद प्रस्तुत की गई है। अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में बताया है कि दिनांक 15.9.2023 को अपीलांट हल्का पटवारी के पास गये व मुताबिक वसीयत इंतकाल बाबत जानकारी चाही तो पटवारी हल्का ने रिकार्ड देखकर बताया कि विरासतन इंतकाल दिनांक 20.7.2023 को दर्ज हो गया है। इस पर अपीलांट्स ने उसी दिन इंतकाल की सत्यचित्रप्रति प्राप्त कर फीस आदि का बन्दोबस्त करके अभिभाषक नियुक्त करके अपील प्रस्तुत की है। जैर अपील इंतकाल की जानकारी से अन्दर मियाद है। पंचायत द्वारा इंतकाल तस्दीक करते समय कोई सूचना नहीं दी गई।प्रार्थी अपीलांटस की बिना जानकारी के एकतरफा तौर पर ही इंतकाल तस्दीक कर दिया, जिसकी जानकारी होते ही अपील प्रस्तुत कर दी व धारा 5 में अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जाकर अपील को इंतकाल होने की जानकारी की दिनांक से समय सीमा में माना जावे। इस बाबत शपथपत्र भी अपीलांट्स प्रार्थीगण ने प्रस्तुत किया है। रेस्पोन्डेन्ट्स ने धारा 5 के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किया है और न ही शपथपत्र का प्रत्युत्तर शपथपत्र से दिया है। ऐसी सूरत मे प्रार्थीगण/अपीलांट्स के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को सही मानते हुए प्रार्थीगण /अपीलांटस द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है और अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी माफ किया जाकर अपील का निर्णय गुण व दोष के आधार पर किया जाता है।

जहां तक रेस्पो0नं0 1,2,5 द्वारा धारा 151 सीपीसी के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील का नियमित वाद के निर्णय तक स्थगित किये जाने बाबत है, इस बिन्दू पर मेरा सुविचारित मत हैं कि वसीयत सही होने व न होने तथा बिना उप पंजीयक के तस्दीक होने पर वसीयत में कानूनी रूप से कितना बल है व अन्य कानूनी बिन्दूओं का निर्णय नियमित वाद पत्र के द्वारा ही तय होना है। इंतकाल एक फिस्कल एन्ट्री है। इंतकाल के द्वारा किसी भी पक्ष के हित व हक का निर्धारण नहीं होता है, जब मूल वाद के निर्णय व डिक्री के द्वारा ही सब पक्षकारान के हक व हिस्सेदारी तय होनी है व उसी अनुसार ही राजस्व रिकार्ड में अंकन होना है तो जैर अपील इंतकाल द्वारा जो पक्षकारान के हक व हिस्से दर्ज वह निष्प्रभावी है तथा वादपत्र में अदालत द्वारा जारी निर्णय व डिक्री की पालना में कानूनी विरोधाभाष ही पैदा होगा। इसलिए रेस्पोडेन्टस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी का उपयोग तब किया जाता है जब कानून में अन्य स्पष्ट प्रावधान नहीं हों। इसलिए अदालत जैर अपील इंतकाल का निर्णय गुण व दोष के आधार पर करते हुए निर्णय पारित किया जाता है कि उभयपक्ष की बहस सुनने, उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन करने व संबन्धित कानूनी बिन्दूओं का अध्ययन–मनन करने तथा दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान पठन व गहन मनन करने के उपरान्त अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील में ग्राम पंचायत निरवाना द्वारा तस्दीक इंतकाल सं. 267 दिनांक 20.7.2023 निरस्त किया जाता है तथा राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में इंतकाल की पूर्व की स्थिति दर्ज की जावे और यदि किसी सक्षम न्यायालय का जैर अपील इंतकाल की भूमि पर स्थगन आदेश प्रभावी हो तो जैर अपील भूमि के राजस्व रिकार्ड–जमाबंदी आदि में इंतकाल निरस्त किये जाने संबन्धी नोट अंकित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

(संदीप कुमार)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़